पत्र संख्या-विधि-2-(1)-खाद्य- 191-(2009-2010) 1635/1011068 / वाणिज्य कर,

कार्यालय कमिश्नर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश,

(विधि अनुभाग)

दिनांक::लखनऊ::दिसम्बर 16 ,2010

समस्त जोनल एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-1, वाणिज्य कर,
समस्त ज्वाइण्ट कमिश्नर (कार्य पालक) वाणिज्य कर,
समस्त डिप्टी कमिश्नर /असिस्टेन्ट कमिश्नर, वाणिज्य कर,
वाणिज्य कर अधिकारी, उत्तर प्रदेश।

मुख्यालय के परिपत्र संख्या- विधि-2-(1)-खाद्य-(2006-2007)-2313 दिनांक 29-3-2007 द्वारा केन्द्रीय बिक्रीकर अधिनियम की धारा-15(सी) को स्पष्ट करते हुये चावल निर्माताओं द्वारा निर्मित चावल की केन्द्रीय बिक्री पर देय बिक्रीकर में ऐसे चावल के निर्माण में प्रयुक्त धान पर प्रान्त में दिये गये कर का लाभ नहीं दिये जाने का निर्देश निर्गत किया गया था जिसके आधार पर फील्ड के अधिकारियों द्वारा विभिन्न व्यापारियों के विभिन्न वर्षो में कर निर्धारण की कार्यवाहियां प्रारम्भ की गयी थी। इन कर निर्धारण आदेशों एवं उक्त परिपत्र दिनांक 29-3-2007 को विभिन्न चावल मिलों द्वारा मा0 उच्च न्यायालय में चुनौती दी गयी थी। इनमें से सर्वश्री आर्यावर्त चावल उद्योग, अकबरपुर, अम्बेडकर नगर बनाम उ0प्र0 सरकार के मामले में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 22-5-2008 को यह निर्णय दिया गया कि केन्द्रीय बिक्रीकर अधिनियम की धारा-15(सी) में दी गयी छूट का लाभ प्रान्त के अन्दर खरीदे गये धान पर अदा व्यापार कर में अनुमन्य नहीं होगा। मा0 उच्च न्यायालय द्वारा परिपत्र दिनांक 29-3-2007 में दिये गये निर्देश को सही ठहराया गया है ,लेकिन धारा-21-(1) के अन्तर्गत की गयी कार्यवाही के लिए कहा गया है कि मत परिवर्तन उक्त धारा में नहीं किया जा सकता है। अत: मा0 उच्च न्यायालय के उक्त निर्णय को ध्यान में रखते हुये मुख्यालय के परिपत्र संख्या-विधि-2-(1)-खाद्य-(2005-2006)-917 दिनांक 11-11-2008 द्वारा यह निर्देश दिये गये कि जिन मामलों में धारा-10बी के अन्तर्गत कार्यवाही की जा सकती हो, उन मामलों में आवश्यक कार्यवाही की जाये। तत्पश्चात् इस परिपत्र दिनांक 11-11-2008 द्वारा दिये गये निर्देश को अधिक स्पष्ट करते हुये परिपत्र संख्या-विधि-2-(1)-खाद्य-(2005-2006)-16 दिनांक 6-4-2009 निर्गत किया गया, जिसमें यह स्पष्ट किया गया है कि अपने विवेक का इस्तेमाल करते हुये प्रत्येक प्रकरण के गुण अवगुण के आधार पर धारा-10बी के अन्तर्गत कार्यवाही का निर्णय लिया जाये।

रिट पेटीशन संख्या- 2072 (एम0बी0)/10 सर्वश्री कुमार राइस मिल्स, प्रा0लि0 बनाम उत्तर प्रदेश सरकार में मा0 उच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 15-7-2010 में निम्नवत् निर्देश दिये गये है :-

''The State Government is directed to issue clarificatory Circular providing that circular date 11.11.2008 is merely advisory in nature.''

मा0 उच्च न्यायालय के उक्त निर्देश के क्रम में शासन के पत्र संख्या-क0नि0-1575 / ग्यारह-2-2010-9(209)/2010 दिनांक 24-11-2010 द्वारा यह निर्देश दिये गये है कि ''उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम-1948 की धारा-10बी के अन्तर्गत सम्बन्धित प्राधिकारी द्वारा प्रकरण का तथ्य एवं विधिक दृष्टि से परीक्षण के उपरान्त स्वविवेक से यथोचित कार्यवाही का निर्णय लिया जाना होता है। प्रत्येक मामले में परीक्षण के उपरान्त यथास्थिति उनके द्वारा कार्यवाही की जानी है। अत: स्पष्ट किया जाता है

कि कमिश्नर वाणिज्य कर का उपर्युक्त परिपत्र संख्या-विधि-2-(1)-खाद्य (2005-2006)- 917 दिनांक 11-11-2008 सम्बन्धित अधिकारियों के लिए मात्र सुझावात्मक है। ''

अत: उपर्युक्त परिपत्रों के क्रम में शासन के उक्त निर्देश के अनुसार आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

14/12

(चन्द्रभानु)

कमिश्नर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।

पृ0प0सं0एवं दिनॉक उक्त।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

(1) प्रमुख सचिव, वाणिज्य कर एवं मनोरंजन कर विभाग,उत्तर प्रदेश शासन सचिवालय,लखनऊ।

(2) निदेशक, राजस्व व विशिष्ट अभिसूचना उत्तर प्रदेश शासन,सचिवालय,लखनऊ।

(3) सॅयुक्त सचिव, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2, उत्तर प्रदेश शासन,सचिवालय,लखनऊ (दो प्रतियो में)

(4) अध्यक्ष/निबन्धक उत्तर प्रदेश वाणिज्य कर, लखनऊ एवॅ समस्त सदस्य वाणिज्य कर अधिकरण, वाणिज्य कर,उ0प्र0

(5) समस्त एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-1/ ग्रेड-2, वाणिज्य कर , उ0प्र0 मुख्यालय लखनऊ।

(6) एडीशनल कमिश्नर,ग्रेड-2(वि0अनु0शा0/ अपील), वाणिज्य कर उत्तर प्रदेश।

(7) समस्त ज्वाइन्ट कमिश्नर (वि0अनु0शा0/अपील) वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।

(8) अपर निदेशक सॅयुक्त निदेशक/उप निदेशक/सहायक निदेशक, वाणिज्य कर प्रशिक्षण संस्थान,गोमती नगर,लखनऊ।

(9) महालेखाकार, 171ए अशोक नगर,इलाहाबाद ।

(10) वरिष्ठ तकनीकी अधिकारी,सतर्कता अधिष्ठान ,विक्रमादित्य मार्ग ,लखनऊ।

(11) प्रबन्धक,इसेंटिव,,पिकप,राणाप्रताप मार्ग लखनऊ।

(12) समस्त आन्तरिक सम्परीक्षा दल, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।

(13) सीनियर डिप्टी एकाउन्टेंट जनरल,रेवेन्यू आडिट विंग,स्टेट आफिस आफ द ए0जी0आडिट 11, सरोजनी नायडू मार्ग,इलाहाबाद।

(14) विकास आयुक्त,नोयडा एक्सपोर्ट प्रोसेसिंगं जोन,सेक्टर 10नोयडा।

(15) एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-2 /ज्वाइन्ट कमिश्नर/डिप्टी कमि0/असिस्टेन्ट कमिश्नर,सर्वोच्च न्यायालय कार्य)गाजियाबाद।

(16) एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-1/ ग्रेड-2/ ज्वाइन्ट कमिश्नर/डिप्टी 0कमि0/असि0कमि0(उ0न्या0कार्य0)लखनऊ/इलाहाबाद।

(17) मैअनुल अनुभागा/सूचना केन्द्र, नई इकाई अनुभाग को क्रमशः 5- 5 तथा 10प्रतियॉं में।

(18) विधि अनुभाग मुख्यालय को 50 प्रतियॉं।

(19) समस्त अनुभाग अधिकारी , वाणिज्य कर,मुख्यालय ।

(20) अध्यक्ष,उत्तर प्रदेश टैक्स एडवोकेट वैल फेयर एसो0185/293अमीनाबाद रोड,गणेश गंज,लखनऊ।

(21) अधिशासी निदेशक,उद्योग बन्धु, सी 15 माल एवेन्यू,लखनऊ।

(22) श्री श्याम बिहारी मिश्र,उार प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल,87/349 आर्या नगर,सगीत टाकिज के पीछे कानपुर।

(23) श्री बनवारी लाल कंछल, अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल,कंछल कुॅज, 66,शास्त्री नगर,लखनऊ।

(24) श्री संदीप बंसल,सदस्य राज्य स्तरीय व्यापार कर सलाहकार समिति , 29बी विधायक निवास दारुलसफा लखनऊ।

(25) मर्चेन्ट चेम्बर आफ कामर्स ,14/26 सिविल लाइन्स कानपुर।

(26) एसोशियेटेड चेम्बर आफ कामर्स एण्ड इण्ड0 4/180 विशाल खण्ड पी0वी0-17 गोमती नगर लखनऊ।

(27) पी एच डी चेम्बर आफ कामर्स एण्ड इण्ड0 1 ए ला प्लास शाहनजफ रोड लखनऊ।

(28) अवध चेम्बर आफ कामर्स एण्ड इण्ड0 द्वारा ब्राइट बेबी साइकिल इण्ड0 ऐशबाग रोड,लखनऊ।

(29) आल इन्डिया मैन्युफैक्चर्स आर्गेनाइजेशन डी-4 साइट संख्या 3 मेरठ रोड इण्डस्ट्रीयल एरिया गाजियाबाद।

(30) कनफेडरेशन आफ इन्डियन इण्ड0 निराला नगर,लखनऊ।

(31) राज्य स्तरीय सलाहाकार समिति के सभी सदस्यों /सम्भागीयसलाहकार समितिके सदस्यों को सम्बंधित ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्य0)के माध्यम से।

(32) प्रदेश प्रमुख लघु उद्योग भारतीय 10इन्जीनियर्स काम्पलेक्स,सुल्तानपुर रोड,रायबरेली।

(33) शिवकुमार अरोड़ा,एडवोकेट,महा सचिव,उ0प्र0 टैक्स बार एसो0 जमुना बिहार,एस0एस0कालेज रोड,खतौली, मुजफ्फरनगर

(34) श्री मदन मोहन भरतीया एडवोकेट, सदस्य राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण उ0प्र0 शासन 26/103 बिरहाना रोड कानपुर।

(35) प्रो0 डा0 सुरेन्द्र नाथ डीन फैकल्टी आफ ला बनारस हिन्दु यूनिवर्सिटी,बनारस ।
(36) प्रो0 श्रीमती रंजना कक्कड़,15 टैगोर टाउन इलाहाबाद ।
(37) डा0 छेदी लाल साथी, ए-5/1579 इन्द्रा नगर, लखनऊ ।
(38) श्री बी0एन0राय, एडवोकेट,अध्यक्ष, दि यू0पी0टैक्स बार एसो0 45 चन्द्रिका कालोनी,सिगरा वाराणसी ।
(39) श्री अशोक धवन सी के -24/ 1कुँजगली,चौक,वाराणसी ।
(40) श्री नेकी राम गर्ग,अध्यक्ष पश्चिमी उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल, 707,पंचशील कालोनी, महाबीर चौक,मु0नगर।
(41) श्री पी0एस0जैन, 138 ए ब्लाक ए सेक्टर 27 नोयडा ।
(42) श्री ब्रित चावला महा सचिव, (पश्चिमी क्षेत्र प्रभारी)उ0प्र0ट्रक आपरेटर्स ,फेडरेशन (रजि0),पुलदाल मण्डी सहारनपुर ।
(43) आर0डी0गुप्ता, एडवोकेट, आकाशपुरी कालोनी ,इलाहाबाद ।
(44) श्री संतोष कुमार (पनामा), प्रदेश उपाध्यक्ष, भा0ज0पा0निवासी 60चाहचन्द इलाहाबाद ।
(45) श्री शैलेश मिश्रा, महामॅत्री, लोहा व्यापार मंडल,उत्तर प्रदेश ,19 सुरेशबाग, कानपुर ।
(46) इन्डियन इण्ड0एसो0, 159/ए -8, 15 प्रकाश मार्केट, लाला लाजपत राय चौक,मु0नगर ।
(47) संयोजक,टैक्सेशियों एकैडमिक एण्ड वेलफेयर फोरम एसो, वेस्टर्न यू0पी0,52,नगर निगम कम्पाउन्ड कैसरबाग रोड मेरठ
(48) टैक्सेशन बार एसोसिएशन ट्रेड टैक्स बार रुम जयपुर हाऊस , आगरा ।
(49) श्री मलिक विजय कपूर चेयरमैन कानपुर इण्डस्ट्रियल डिवीजन को0प0 स्टेट लि0 51-बी उद्योग नगर कानपुर।
(50) श्री अनिल कुमार बंसल दि यू0पी0रोलर फ्लोर मिलर्स एसो0 3-एक्स,गोखले मार्ग लखनऊ ।
(51) श्री दिनेश अरोरा उ0प्र0 वनस्पति प्रोडूयसर्स एसो0 51/58-ए शक्कर पट्टी कानपुर ।
(52) श्री नन्द लाल उपाध्यक्ष उ0प्र0 टेन्ट व्यापार एसो0 565/566 राजेन्द्र नगर लखनऊ ।
(53) श्री हुलास राय सिंघल, प्रदेश अध्यक्ष,एफ-3,पार्क रोड,लखनऊ ।
(54) श्री अरुण कुमार अवस्थी, प्रान्तीय सॅगठन मन्त्री,अखिल भारतीय उदयोग व्यापार मण्डल,(पॅजी0-बी-29,विधायक निवास,दारुल शफा,लखनऊ ।
(55) माननीय अध्यक्ष,व्यापार कर सलाहकार समिति,सचिवालय,लखनऊ ।
(56) श्री गोपाल अग्रवाल, राष्ट्रीय महामंत्री आल इण्डिया उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मण्डल , 27 ए मिशन कम्पाउन्ड मेरठ।
(57) श्री दिनेश चन्द्र मित्तल , उपाध्यक्ष उ0प्र0 कागज कापी व्यवसायी संघ ,6/6-ए,उ0 बी0एन0रोड,अमीनाबाद लखनऊ ।
(58) अध्यक्ष , इण्डियन इन्डस्ट्रीज एसोसिएशन ,विभूति खण्ड फेस 2 गोमती नगर लखनऊ ।
(59) वैट लॉ जनरल 10 नगर निगम कम्पाउन्ड ,कैसर गंज रोड मेरठ ।
(60) वीरेन्द्र कुमार अग्रवाल मण्डल उपाध्यक्ष, अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मण्डल (पंजी0) मण्डल कैम्प कार्यालय इमलीवला नोटरा सादाबाद गेट ,हाथरस ।
(61) सर्वश्री दि किराना मर्चेन्ट्स एसोसियेशन, 67/116 सेवा समिति भवन, केनाल रोड, कानपुर ।
(62) श्री अरविन्द कुमार गुप्ता, एडवोकेट, अध्यक्ष उत्तर प्रदेश टैक्सवार एसोसियेशन, सीताराम, आजमगढ़ (उ0प्र0)
(63) श्री रमेश केसरवानी (प्रदेश सचिव) जिलाध्यक्ष, उ0प्र0उद्योग व्यापार मण्डल-22/26 आशादेवी मार्केट , खोया मण्डी इलाहाबाद ।
(64) श्री मनोज कुमार गुप्ता, अध्यक्ष,राष्ट्रवादी उद्योग व्यापार मण्डल, सुभाषनगर,गली न0-6 गोपाल टॉकीज के पीछे बदायूँ ।
(65) श्री मनीष शर्मा ला मैनेजमेन्ट हाउस, आगरा- 15/5 राजनगर, गाजियाबाद ।
(66) श्रीमती इन्दु मिश्रा, इन्दु पब्लिेशन, आर0डी0सी0-51, राजनगर , गाजियाबाद ।
(67) श्री बी0एन0शुक्ला, अध्यक्ष, यू0पी0 पेट्रोलियम ट्रेडर्स एसोसियेशन, 103 बी प्रतिभा तीरथ एपार्टमेन्ट, 1 यूनिवर्सिटी रोड, लखनऊ ।

(पी0के0 गोयल)
एडीशनल कमिश्नर (विधि) वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश ।